



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 39

3 आश्विन 1941 (श०)
पटना, बुधवार, ———
25 सितम्बर 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क
	63-63
	64-66

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

1 जुलाई 2019

सं० 225 नि०—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री नागेश प्रताप सिंह रेलवे दण्डाधिकारी, सोनपुर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) आरा स) भोजपुर	भोजपुर
2.	कविता कुमारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर मुंसिफ, भागलपुर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ	पूर्णियाँ
3.	श्री राज कपूर मुंसिफ—सह—न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेतिया।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण
4.	श्री विवेक चन्द्र वर्मा मुंसिफ, शिवहर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ	पूर्णियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 225 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and Station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Nagesh Pratap Singh Railway Magistrate, Sonepur	(a) Judicial Magistrate (b) Ara (c) Bhojpur	Bhojpur
2.	Ms. Kavita Kumari J.M. 1 st -cum-Addl. Munsif, Bhagalpur	(a) Judicial Magistrate (b) Purnea (c) Purnea	Purnea
3.	Sri Raj Kapoor Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Bettiah	(a) Judicial Magistrate (b) Bettiah (c) West Champaran	West Champaran
4.	Sri Vivek Chandra Verma Munsif, Sheohar	(a) Judicial Magistrate (b) Purnea (c) Purnea	Purnea

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

1 जुलाई 2019

सं० 226 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2ए 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में निहित न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं।	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।	रेलवे न्यायालय का स्थान, जहाँ के लिए पदस्थापित किये जाते हैं।
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार IV, मुंसिफ, छपरा।	कोशी, दरभंगा, तिरहुत, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल का मुंगेर और भागलपुर जिला और पटना प्रमंडल का पटना जिला।	सोनपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 226 A :--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate, Railway to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against his name in column no. 3 of the table, which he is competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against his name in column no. 3 of the table.

He is also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

He is also conferred with the powers to take cognizance of such case as he is authorized to try within his territorial jurisdiction.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and place of posting	Jurisdiction for which power is being vested	Name of the station to be posted as in the court of Railway
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Rakesh Kumar IV Munsif, Chapra	Kosi, Darbhanga, Tirhut, Saran Division, Munger and Bhagalpur districts of Bhagalpur Division and Patna District of Patna Division	Sonepur

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

1 जुलाई 2019

सं० 227 नि० :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जज्जी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर पदाधिकारी को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	शेमा एरम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, छपरा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) छपरा स) सारण	अ) छपरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) छपरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 227 A :--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Ms. Shema Eram J.M. 1 st Class, Chapra	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Chapra c) Saran	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Chapra Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Chapra Munsifi.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

1 जुलाई 2019

सं० 228 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री राम मनोहर चौधरी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौढ़ी स) पटना	पटना
2.	श्री प्रतिक त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौढ़ी स) पटना	पटना
3.	पायल सिंगला, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना सिटी स) पटना	पटना
4.	खैरुन निशा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना सिटी स) पटना	पटना
5.	शेल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
6.	श्री गोरी शंकर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौढ़ी स) पटना	पटना

7.	श्रेया मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
8.	चांदनी गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
9.	शारदा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
10.	निवेदिता, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
11.	तनवी सिंघल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
12.	बबिता सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
13.	श्री सिद्धार्थ शेखर सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौड़ी स) पटना	पटना
14.	श्री कपिल देव, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौड़ी स) पटना	पटना
15.	प्रीति आनंद, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
16.	तान्या पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
17.	स्वाति सुरेन्द्र, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
18.	नेहा दयाल, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 228 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the judgship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Ram Manohar Choudhary, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna
2.	Sri Prateek Tripathi, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna
3.	Ms. Payal Singla, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Patna City (c) Patna	Patna
4.	Ms. Khairun Nisa, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Patna City (c) Patna	Patna
5.	Ms. Shell, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
6.	Sri Gauri Shankar, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna
7.	Ms. Shreya Mishra, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
8.	Ms. Chandani Gupta, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
9.	Ms. Sharda, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
10.	Ms. Nivedita, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
11.	Ms. Tanvi Singhal, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
12.	Ms. Babita Singh, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna

13.	Sri Siddharth Shekhar Singh, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna
14.	Sri Kapil Dev, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna
15.	Ms. Priti Anand, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
16.	Ms. Tanya Patel, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
17.	Ms. Swati Surendra, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna
18.	Ms. Neha Dayal, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Danapur (c) Patna	Patna

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

1 जुलाई 2019

सं० 229 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री अरविंद मिश्रा, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सितामढ़ी।	सितामढ़ी
2.	श्री नगेन्द्र नाथ झा, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सुपौल।	सुपौल
3.	श्री महेन्द्र मिश्रा, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिम)।	मुजफ्फरपुर
4.	श्री अविनाश कुमार, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 1st July 2019

No. 229 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting.	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Arvind Mishra, Probationary Civil Judge (Junior Division), Sitamarhi.	Sitamarhi
2.	Sri Nagendra Nath Jha, Probationary Civil Judge (Junior Division), Supaul.	Supaul
3.	Sri Mahendra Mishra, Probationary Civil Judge (Junior Division), Muzaffarpur (West)	Muzaffarpur
4.	Sri Avinash Kumar, Probationary Civil Judge (Junior Division), Patna.	Patna

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

2 जुलाई 2019

सं० 230 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री जितेन्द्र कुमार, जो विशेष सचिव—सह—अपर विधि परामर्शी—सह—प्रभारी विधि सचिव—सह—विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पतिनियुक्त हैं, की सेवायें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति के उपरांत राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रहेगी एवं उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक ।

The 2nd July 2019

No. 230 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Jitendra Kumar, who is already posted on deputation as Special Law Secretary-cum-Addl. Legal Remembrancer-cum-I/c Law Secretary-cum-Legal Remembrancer, Law Department, Bihar, would remain at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

3 जुलाई 2019

सं० 231 नि०:—श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर को तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय पटना का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक ।

The 3rd July 2019

No. 231 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Purushottam Mishra, Additional District and Sessions Judge, Munger as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna, with immediate effect.

**By order of the Hon'ble the Chief Justice,
B.B. Pathak, Registrar General.**

5 जुलाई 2019

सं० 236 नि०:--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को, तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1	2	3	4
1.	श्री ध्रुव नारायण यादव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर।	मुंगेर	सेवानिवृत्त श्री मुरलीधर के स्थान पर।
2.	श्री कृष्ण मुरारी शरण, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा।	मधुबनी	सेवानिवृत्त श्री ओम प्रकाश-II के स्थान पर।
3.	श्री श्याम किशोर झा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद।	नालन्दा स्थित बिहारशरीफ (दिनांक 01.08.2019 के प्रभाव से)	दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री रघुपति सिंह के स्थान पर।
4.	श्री बेनी माधव पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा।	सारण स्थित छपरा (दिनांक 01. 08.2019 के प्रभाव से)	दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री रमेश तिवारी के स्थान पर।
5.	श्री विनोद कुमार शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायालय, सिवान जेल, सिवान के रूप में पदस्थापित।	सहरसा (दिनांक 01.08.2019 के प्रभाव से)	दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री अजय नाथ झा के स्थान पर।
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णियाँ।	कटिहार	श्री प्रदीप कुमार मलिक, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर जिनकी नियुक्ति की अनुशंसा सचिव, लोकायुक्त, बिहार, पटना के रूप में की गयी है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना होने पर।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 5th July 2019

No. 236 A:--The Principal Judge, Family Court, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1	2	3	4
1.	Sri Dhruva Narain Yadav, Principal Judge, Family Court, Buxar.	Munger	Vice Sri Murlidhar, since retired.
2.	Sri Krishna Murari Sharan, Principal Judge, Family Court, Madhepura.	Madhubani	Vice Sri Om Prakash-II, since retired.
3.	Sri Shyam Kishore Jha, Principal Judge, Family Court, Jehanabad.	Nalanda at Biharsharif (w.e.f. 01.08.2019)	Vice Sri Raghupati Singh, who is going to retire on 31.07.2019.
4.	Sri Beni Madhav Pandey, Principal Judge, Family Court, Darbhanga.	Saran at Chapra (w.e.f. 01.08.2019)	Vice Sri Ramesh Tiwary, who is going to retire on 31.07.2019.
5.	Sri Vinod Kumar Shukla, Principal Judge, Family Court, working as A.D.J.-cum-P.O. Special Court inside Siwan Jail, Siwan.	Saharsa (w.e.f. 01.08.2019)	Vice Sri Ajay Nath Jha, who is going to retire on 31.07.2019.
6.	Sri Shailendra Kumar Pandey, Principal Judge, Family Court, Purnea.	Katihar	Vice Sri Pradeep Kumar Malik, the present District & Sessions Judge, Katihar, who has been recommended for appointment as Secretary to Lokayukta, Bihar, Patna, as and when his appointment is notified.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

5 जुलाई 2019

सं० 237 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1	2	3
1.	श्री विश्वनाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई जमुई	(अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ब) किशनगंज (स) किशनगंज
2.	श्री आलोक राज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल सुपौल	(अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ब) नालन्दा स्थित बिहारशरीफ (स) नालन्दा
3.	श्री राल लाल शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका बांका।	(अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (ब) हिलसा (स) नालन्दा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 5th July 2019

No. 237 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Vishwanath Singh, Additional District and Sessions Judge, Jamui (Jamui)	a) Additional District and Sessions Judge b) Kishanganj c) Kishanganj
2.	Sri Aloke Raj, Additional District and Sessions Judge, Supaul (Supaul)	a) Additional District and Sessions Judge b) Biharsharif c) Nalanda
3.	Sri Ram Lal Sharma, Additional District and Sessions Judge, Banka (Banka)	a) Additional District and Sessions Judge b) Hilsa c) Nalanda

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

6 जुलाई 2019

सं० 239 नि० :--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) है को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री मुकेश कुमार-। अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मंझील (बेगुसराय)	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) मुजफ्फरपुर (पूर्व) (स) मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 6th July 2019

No. 239 A :--The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which appointed.
1.	2.	3.
1.	Sri Mukesh Kumar I, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Manjhaul (Begusarai)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Muzaffarpur (East) c) Muzaffarpur

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

9 जुलाई 2019

सं० 242 नि० :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर पदाधिकारी को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री रोहित कुमार I न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दरभंगा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) ब) दरभंगा स) दरभंगा	अ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।**

The 9th July 2019

No. 242 A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887,

(Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Rohit Kumar I J.M. 1 st Class, Darbhanga	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Darbhanga c) Darbhanga	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Darbhanga Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Darbhanga Munsifi.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

9 जुलाई 2019

सं० 243 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री रोहन रंजन, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।	मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 9th July 2019

No. 243 A :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Rohan Ranjan, Probationary Civil Judge (Junior Division), Muzaffarpur (West).	Muzaffarpur

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

शुद्धि
11 जुलाई 2019

सं० 228—न्यायालय के अधिसूचना संख्या 228 नि० दिनांक 01.07.2019 जो ज्ञापक संख्या 53471-53483 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है—

1. स्तम्भ संख्या 2 के क्रमांक संख्या 10 में लिखे पदाधिकारी के नाम को निवेदिता के स्थान पर निवेदिता कुमारी पढ़ा जाएगा।
शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत् रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 11th July 2019
CORRIGENDUM

No. 228---Court's Notification No. 228A dated 01.07.2019 issued vide Memo No. 53471-53481 dated 01.07.2019, so far as it relates to transfer and posting and posting of Judicial Magistrates 2nd Class stands corrected in the following terms:-

1. Name of the officer recorded at serial no. 10 in column no. 2 of the table shall be read as Ms. Nivedita Kumari in place of Ms. Nivedita.

Other entries of the notification shall remain unchanged.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

अधिसूचनाएं
16 जुलाई 2019

सं० 256 नि०—न्यायालय के अधिसूचना संख्या 223 नि० दिनांक 28.06.2019 जो ज्ञापक संख्या 52418-52433 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध श्री महेशवर दूबे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मधुबनी को हिलसा एवं श्री विनय कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मधुबनी को बिहारशरीफ, के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है, को वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 16th July 2019

No. 256 A :--Court's Notification No. 223A dated 28.06.2019 issued vide Memo No. 52418-52433 dated 28.06.2019, so far as it relates to transfer and posting of Sri Maheshwar Dubey, J.M. 1st Class, Madhubani to Hilsa and Sri Vinay Kumar, J.M. 1st Class, Madhubani to Biharsharif, is hereby recalled.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

16 जुलाई 2019

सं० 257 नि०—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजों एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

सम्बन्धित पदाधिकारियों को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्ट्स ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री रंजन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, आरा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) आरा स) भोजपुर	अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
2.	श्री दामोदर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, आरा।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) आरा स) भोजपुर	अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 16th July 2019

No. 257 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Ranjan Kumar J.M. 1 st Class, Ara	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Ara c) Bhojpur	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.
2	Sri Damodar Kumar J.M. 1 st Class, Ara	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Ara c) Bhojpur	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Ara Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Ara Munsifi.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

23 जुलाई 2019

सं० 259 नि० :—श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगछिया को किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

न्यायालय की अधिसूचना संख्या 237ए दिनांक 05.07.2019 जो ज्ञाप संख्या 55036—55057 दिनांक 05.07.2019 के तहत निर्गत है को, जहाँ तक इसका संबंध श्री विश्वनाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई को किशनगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन से संबंध है एतद् द्वारा वापस लिया जाता है।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।**

The 23rd July 2019

No. 259 A:—Sri Sujeet Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Naugachia is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Kishanganj.

The Court's notification no. 237A dated 05.07.2019, issued vide memo no. 55036-55057 dated 05.07.2019, so far as it relates to transfer and posting of Sri Vishwanath Singh, Additional District and Sessions Judge, Jamui as Additional District and Sessions Judge of Kishanganj, is hereby recalled. He shall continue as Additional District and Sessions Judge, Jamui.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

29 जुलाई 2019

सं० 267 नि०:—न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	संपुष्टि की तिथि
01.	श्री संजीव कुमार चन्द्रयावी, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना सिटी (पटना) 25वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
02.	श्री जय प्रकाश किस्कू, न्यायिक दंडाधिकारी, कहलगाँव (भागलपुर) 25वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
03.	श्री विकास मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
04.	सीमा कुमारी, सहायक निदेशक (आर और टी) बिहार न्यायिक अकादमी, पटना 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
05.	श्री आदी देव, न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
06.	श्री राकेश कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
07.	श्री सिद्धार्थ पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, दाऊदनगर (औरंगाबाद) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
08.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
09.	श्री जिगर शाह, न्यायिक दंडाधिकारी, शेखपुरा 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
10.	श्री विनीत कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, दलसिंहसराय (समस्तीपुर) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
11.	श्री अतुल सिन्हा, रेलवे मजिस्ट्रेट, गया 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
12.	श्री राजीव कुमार द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
13.	श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
14.	सुप्रिया सिंह चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी, गया 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
15.	श्री शहरयार मो० अफजल, न्यायिक दंडाधिकारी, डुमराँव (बक्सर) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
16.	श्री मिथिलेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, बाँका 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019

17.	श्री सितेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, तेगड़ा (बेगूसराय) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
18.	श्री नीरज किशोर सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, आरा 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
19.	श्री विवेक कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, डेहरी (सासाराम) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
20.	दिव्या जयसवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, गया 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
21.	श्री महेश्वर दूबे, न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
22.	श्री रमेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
23.	श्री आदित्य कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, बारसोई (कटिहार) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
24.	श्री सुमीत कुमार सिंह-I, न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
25.	श्री मनीष कुमार-I, न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
26.	श्री दिव्य प्रकाश, न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णिया, 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
27.	श्री गोरख नाथ दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
28.	श्री वसीम अकरम खान, न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
29.	श्री उमेश प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी, जहानाबाद 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
30.	श्री स्वर्ण प्रभात, न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर (औरंगाबाद) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
31.	माधवी सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
32.	श्री कौशलेन्द्र कुमार शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी, रक्सौल (मोतिहारी) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
33.	श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019

34.	श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
35.	श्री संदीप पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी, बगहा (पश्चिमी चम्पारण) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
36.	अदिति गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, डेहरी (सासाराम) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
37.	श्री सौरभ सिंह, प्रभारी रिसर्च ऑफिसर, किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
38.	श्री सुजीत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, आरा 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019
39.	श्री मनोज कुमार-VII, न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ (पटना) 27वीं न्यायिक सेवा	08.04.2019

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 267 A :--The services of following (Civil Judges, Junior Division) appointed on the basis of the result of 25th & 27th Judicial Service Competitive Examination are hereby confirmed w.e.f. the dates indicated against their respective names in column 3.

Sl. No.	Name, designation and place of posting of the Officer	Date of Confirmation
1.	Sri Sanjeev Kumar Chandriyavi, J.M. 1 st Class, Patna City (Patna) 25 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
2.	Sri Jai Prakash Kisku, Munsif, Kahalgaon (Bhagalpur) 25 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
3.	Sri Vikash Mishra, Munsif, Aurangabad 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
4.	Ms. Seema Kumari, Assistant Director, (R & T), Bihar Judicial Academy 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
5.	Sri Aadi Dev, Munsif, Buxar 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
6.	Sri Rakesh Kumar Pandey, Munsif, Araria 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
7.	Sri Siddharth Pandey, J.M. 1 st Class, Daudnagar (Aurangabad) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019

8.	Sri Narendra Kumar Yadav, Munsif, Jamui 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
9.	Sri Jigar Shah, Munsif, Sheikhpura 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
10.	Sri Vineet Kumar Singh, J.M. 1 st Class, Dalsingsarai (Samastipur) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
11.	Sri Atul Sinha, Railway Magistrate, Gaya 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
12.	Sri Rajeev Kumar Dwivedi, Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Samastipur 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
13.	Sri Dharendra Kumar Pandey, Munsif, Begusarai 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
14.	Ms. Supriya Singh Chauhan, Munsif, Gaya 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
15.	Sri Shaharyar Md. Afzal, Munsif, Dumraon (Buxar) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
16.	Sri Mithilesh Kumar, Munsif, Banka 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
17.	Sri Sitesh Kumar, Munsif-cum-J.M. 1 st , Teghra (Begusarai) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
18.	Sri Niraj Kishore Singh, Munsif, Jagdishpur (Ara) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
19.	Sri Vivek Kumar Singh, J.M. 1 st Class, Dehri (Sasaram) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
20.	Ms. Divya Jaiswal, Execution Munsif, Gaya 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
21.	Sri Maheshwar Dubey, J.M. 1 st Class, Madhubani 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
22.	Sri Ramesh Kumar, J.M. 1 st Class, Buxar 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
23.	Sri Aditya Kumar Singh, Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Barsoi (Katihar) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019

24.	Sri Sumit Kumar Singh I, Munsif, Motihari 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
25.	Sri Manish Kumar I, J.M. 1 st Class, Saharsa 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
26.	Sri Dibya Prakash, J.M. 1 st Class, Purnea 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
27.	Sri Gorakh Nath Dubey, Munsif, Munger 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
28.	Sri Waseem Akram Khan, Munsif, Siwan 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
29.	Sri Umesh Prasad, J.M. 1 st Class, Jehanabad 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
30.	Sri Swarn Prabhat, Munsif-cum-J.M. 1 ^s Class, Daudnagar (Aurangabad) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
31.	Ms. Madhvi Singh, J.M. 1 st Class, Patna 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
32.	Sri Kaushlendra Kumar Shukla, Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Raxaul at Motihari 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
33.	Sri Brajesh Kumar Tripathi, J.M. 1 st Class, Raxaul at Motihari 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
34.	Sri Mahendra Prasad Yadav, Munsif, Biraul (Darbhanga) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
35.	Sri Sandip Patel, Munsif, Bagaha (West Champaran) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
36.	Ms. Aditi Gupta, Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Dehri (Sasaram) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
37.	Sri Saurabh Singh, I/C Research Officer, Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
38.	Sri Sujeet Kumar, Execution Munsif, Ara 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019

39.	Sri Manoj Kumar VII, J.M. 1 st Class, Barh (Patna) 27 th Bihar Judicial Service	08.04.2019
-----	---	------------

Their inter-se-seniority will be decided later on.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

29 जुलाई 2019

सं० 268 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मन कामेश्वर प्रसाद चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना एवं श्री राजीव रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया की सेवायें, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के अधीन क्रमशः पेसू एरिया, पटना एवं मगध एरिया, गया के लिए गठित विशेष न्यायालय, विद्युत अधिनियम-2003 के अधीन, के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 268 A :---On being relieved of their present assignments, the services of Sri Man Kameshwar Prasad Choubey, Addl. District & Sessions Judge, Patna and Sri Rajiv Ranjan, Addl. District & Sessions Judge, Gaya are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for their respective appointment as Presiding Officer, Special Court, PESU Area, Patna and Presiding Officer, Special Court, Magadh Area, Gaya, constituted under Electricity Act, 2003, on deputation basis, under Energy Department, Bihar, Patna, for a maximum period of three years.

**By Order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/c.**

29 जुलाई 2019

सं० 269 नि०:—दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे श्री जय गणेश सिंह के स्थान पर श्री अक्षय कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर अनुमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक।

The 29th July 2019

No. 269 A:--Sri Akshay Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Darbhanga is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Benipur Sub division under Darbhanga Judgeship vice Sri Jay Ganesh Singh, due to retire on 31.07.2019.

**By Order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/c.**

30 जुलाई 2019

सं० 270 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	श्री कुमार पंकज, न्यायिक दण्डाधिकारी I—सह—अपर मुंसिफ, भागलपुर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) नौगछिया स) भागलपुर	भागलपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 30th July 2019

No. 270 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Kumar Pankaj, J.M. I-cum-A.M., Bhagalpur.	(a) Judicial Magistrate (b) Naugachia (c) Bhagalpur	Bhagalpur

By Order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/c.

30 जुलाई 2019

सं0 271 नि0:--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	लीला, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस0 के0 पनवार, महानिबंधक।

The 30th July 2019

No. 271 A:---In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are

pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Ms. Leela, Probationary Civil Judge (Junior Division), Patna.	Patna

**By Order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/c.**

6 अगस्त 2019

सं० 280 नि० : निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारी को असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के संवर्ग में संपुष्ट किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम का स्थान
1.	श्री जय राम प्रसाद, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया।
2.	सरोज कुमारी, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
3.	श्री राकेश कुमार-II, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर।
4.	श्री उमेश कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियाँ।
5.	श्री विद्या प्रसाद, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा।
6.	श्री प्रेम चन्द्र वर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
7.	श्री सकल देव राय, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
8.	श्री नंद किशोर राम, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर।
9.	श्री चन्द्र मणि कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।
10.	श्री सुधीर सिन्हा, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
11.	श्री मो० रुस्तम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना।
12.	श्री सुमित रंजन, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।
13.	श्री देशमुख, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।
14.	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरा।
15.	श्री गौरव कमल, विशेष कार्य पदाधिकारी, कम्प्यूटराईजेशन, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
16.	श्री उदय प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा।

17.	श्री अमित रंजन उपाध्याय, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया।
18.	नूर सुल्ताना, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
19.	श्री प्रणव शंकर, अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।
20.	श्री आनंद कुमार सिंह-I, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
21.	श्री जावेद अहमद खान, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बांका।
22.	श्री ब्रिजेन्द्र कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम।
23.	श्री विकास सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा।
24.	श्री सूर्यकान्त तिवारी, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
25.	श्री राजीव कुमार III, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शेखपुरा।
26.	श्री सत्य प्रकाश, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी।
27.	श्री नवीन कुमार ठाकुर, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सुपौल।
28.	श्री रविन्द्र कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर।
29.	श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।
30.	अंजू सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
31.	श्री उमेश कुमार शर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।
32.	श्री ठाकुर अमन कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय।
33.	श्री अजीत कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज।
34.	प्रतिभा, अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ।
35.	श्री विनय शंकर, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।
36.	श्री सुनील कुमार II, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
37.	श्री पुष्पम कुमार झा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा।
38.	श्री कमलेश चन्द्र मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सुपौल।
39.	श्री उमेश मणि त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)।
40.	श्री राकेश कुमार सिंह III, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।

41.	श्री बालेन्द्र शुक्ला, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।
42.	ऋचा भार्गव, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
43.	श्री राजा राम संतोष कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना।
44.	श्री नीरज कुमार I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।
45.	श्री योगेश शरण त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया।
46.	ख्याति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा।
47.	कुमार गुंजन, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
48.	ज्योति कुमारी, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
49.	मौसमी सिंह, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
50.	कुमार अमित मनु, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ।
51.	श्री ब्रजेश कुमार पाठक, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर।
52.	कल्पना श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
53.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
54.	श्री आशुतोष कुमार II, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर।
55.	श्री भूपेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी।
56.	रचना राज, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
57.	श्री राहुल कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मोतिहारी।
58.	श्री कुमार त्रिषीकेश, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बखरी।
59.	श्री अनुराग कुमार त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
60.	श्री विपीन कुमार, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तेघड़ा।
61.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अपर निबंधक, किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
62.	श्री राजीव नयन, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
63.	श्री रविन्द्र कुमार राय, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
64.	आनंदिता सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद।

65.	श्री संजीव कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।
66.	श्री प्रभात कृष्णा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।
67.	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर।
68.	श्री कैलाश जोशी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डुमराँव।
69.	श्री देवानन्द मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उदा-किशुनगंज।
70.	श्री रवि रंजन, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
71.	श्री पुनीत मालवीय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
72.	श्री आदित्य सुमन, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया।
73.	श्री सुनील कुमार सिंह II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरा।
74.	श्री बसंत कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
75.	श्री संजय कुमार सिंह II, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
76.	श्री संजय कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हिलसा।
77.	श्री आशुतोष पाण्डेय, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज।
78.	श्री अविनाश शर्मा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर।
79.	श्री अभय श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा।
80.	श्री संदीप कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।
81.	रेशमा वर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर।
82.	श्री पीयूष कुमार श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
83.	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।
84.	श्री राकेश कुमार तिवारी, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी।
85.	रचना श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
86.	श्री संजय प्रिया, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।
87.	श्री नीरज कुमार II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार।
88.	श्री वेद प्रकाश मोदी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सोनपुर।
89.	श्री अवधेश कुमार I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर।

90.	श्री सईद कमरुल हसन रिजवी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी।
91.	श्री नीरज किशोर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
92.	श्री संजीव कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर।
93.	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।
94.	श्री कुमार माधवेन्द्र, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़।
95.	श्री अखौरी अभिषेक सहाय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नौगछिया।
96.	नमिता सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना।
97.	श्री प्रशांत कुमार झा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दमदाहा।
98.	साची मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
99.	श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान।
100.	श्री सुबीर कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
101.	श्री अतुल वीर सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
102.	श्री अतुल कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
103.	श्री अफजल आलम, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार।
104.	श्री अंकुर गुप्ता, उप निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना।
105.	श्री राजेश कुमार वर्मा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।
106.	दिव्या वशिष्ठ, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।
107.	श्री आशुतोष कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर।
108.	श्री प्रशांत कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुंगेर।
109.	श्री शरत चन्द्र श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
110.	श्री अमित कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद।
111.	श्री दधीच नारायण भारद्वाज, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिकरहाना।
112.	श्री संकाश चन्द्र, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
113.	श्री संजय कुमार IV, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बीरपुर।

114.	श्री सुनील कुमार सिंह III, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
115.	श्री लक्ष्मी कान्त मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
116.	श्री रणविजय कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
117.	श्री रंजन कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पूर्णियाँ।
118.	श्री सुनील कुमार III, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
119.	श्री राजीव रंजन सहाय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।
120.	श्री विजय किशोर सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
121.	श्री अमित राज, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
122.	रेशमी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी।
123.	श्री अभिजीत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।
124.	श्री ब्रजेश कुमार, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा।
125.	श्री ओम प्रकाश VI, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शेरघाटी।
126.	श्री सुधीर कुमार सिन्हा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
127.	श्री राजेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार।
128.	श्री चन्द्र बीर सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
129.	श्री अमित कुमार पाण्डेय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
130.	श्री शरद चन्द्र कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया।
131.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा।
132.	श्री श्री राम झा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय।
133.	श्री विवेक राय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बगहा।
134.	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।
135.	श्री अरविन्द, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद।
136.	श्री संजीव कुमार I, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
137.	श्री मो० सलीम, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बांका।
138.	अनुपम कुमारी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।

139.	श्री राजेश पाण्डेय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
140.	श्री अजय कुमार I, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, बेगूसराय।
141.	श्री मुकेश कुमार I, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
142.	श्री रजनीश रंजन, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
143.	श्री जीतेश कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, छपरा।
144.	श्री अनिल कुमार ठाकुर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैयसी।
145.	आकांक्षा कश्यप, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
146.	श्री आनंद कुमार सिंह II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया।
147.	श्री गौरव आनंद, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
148.	श्री दिवेश कुमार, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसडा।
149.	श्री प्रवीण कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा।
150.	श्री प्रबाल दत्ता, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
151.	श्री संजय कुमार राय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
152.	श्री पवन कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर।
153.	श्री अनवर शमीम, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय।
154.	श्री प्रभाकर झा, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ।
155.	श्री दिपांशु श्रीवास्तव, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा।
156.	श्री अविनाश कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बगहा।
157.	श्री सुभाष चन्द्र, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
158.	श्री राजीव रंजन सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
159.	श्री राजीव रंजन रमण, अवर न्यायाधीश I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय।
160.	श्री धीरज कुमार भास्कर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमंखी।
161.	श्री नीतिन कौशिक, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, डालमियानगर।
162.	श्री संतोष कुमार झा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार।
163.	श्री मधुकर सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ।

164.	श्री संजीव कुमार II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया।
165.	श्री बृज किशोर सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डुमराँव।
166.	श्री आनंद विश्वास धर दूबे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
167.	श्री विवेक भारद्वाज, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
168.	श्री विवेकानंद प्रसाद, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शेखपुरा।
169.	रुम्मा कुमारी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
170.	श्री ज्योति प्रकाश, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
171.	श्री अतुल कुमार पाठक, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)।
172.	श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार, विधि पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना।
173.	श्री उमा शंकर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
174.	श्री संदीप अग्निहोत्री, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर।
175.	श्री रत्नेश्वर कुमार सिंह, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
176.	रश्मी प्रसाद, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना सिटी।
177.	श्री जावेद आलम, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा।
178.	श्री नीशित दयाल, निबंधक, बिहार भूमि अधिकरण, पटना।
179.	श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर।
180.	श्री पंकज चौहान, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
181.	श्री अभिषेक कुणाल, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शाहपुर पटोरी।
182.	श्री अमित कुमार दीक्षित, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
183.	श्री शुक्ल कुमार मांझी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।
184.	श्री रंजीत कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।
185.	श्री धीरेन्द्र कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया।
186.	श्री राजीव कुमार भारती, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय।
187.	श्री निशांत कुमार प्रियदर्शी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
188.	श्री समरेन्द्र गाँधी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोगरी।

189.	सरोज कृति, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा।
190.	श्री देवेश कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।
191.	श्री रणधीर कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा।
192.	गायत्री कुमारी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया।
193.	श्री कृष्णा कुमार चौधरी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल,
194.	रंजूला भारती, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
195.	श्री अमित कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर।
196.	श्री सुभाष कुमार राय, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बांका।
197.	नीहारिका, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना सिटी।
198.	श्री शक्तिधर भारती, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
199.	श्री शुकुल राम, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना।
200.	श्री कुमार कौशल किशोर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ।
201.	श्री सुशांत रंजन, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी।
202.	श्री मनोज कुमार V, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज।
203.	श्री महावीर प्रसाद, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।
204.	श्री सदन लाल प्रियदर्शी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी।
205.	श्री देव प्रिय कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेलसण्ड।
206.	श्री छेदी राम, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम।
207.	श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।
208.	श्री जितेन्द्र कुमार II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीवान।
209.	श्री राकेश कुमार रजक, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जहानाबाद।
210.	श्री शशि भूषण कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।
211.	श्री प्रदीप कुमार चौधरी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सुपौल।
212.	श्री रवि शंकर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर।
213.	श्री अशोक कुमार मांझी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज।

214.	श्री कृष्णा गोपाल, निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना।
215.	श्री कुमार धीरेन्द्र राजाजी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया।
216.	श्री आनंद अभिषेक, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दलसिंहसराय।
217.	श्री अजय कुमार II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरा।
218.	इंद्राणी किस्कू, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़।
219.	श्री मुकेश कुमार II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आरा।
220.	श्री राजेश प्रसाद गुप्ता, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पालीगंज।
221.	श्री राजीव कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।
222.	श्री सुनील दत्ता, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज।
223.	श्री रामेश्वर मिश्रा, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर।
224.	श्री श्यामल कुमार, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, महानिबंधक।

The 6th August 2019

No. 280 A:--The following Judicial Officers are confirmed in the rank of Civil Judge (Senior Division).

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting
01.	Sri Jai Ram Prasad ,Sub Judge-cum-C.J.M., Bettiah
02.	Ms. Saroj Kumari ,Sub Judge-cum-C.J.M.,Sitamarhi
03.	Sri Rakesh Kumar II,Sub Judge-cum-C.J.M., Buxar
04.	Sri Umesh Kumar ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Purnea
05.	Sri Vidya Prasad ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Madhepura
06.	Sri Prem Chandra Verma, Sub Judge-Cum-C.J.M., Hajipur
07.	Sri Sakal Deo Ray ,Sub Judge-cum-C.J.M., Motihari
08.	Sri Nand Kishor Ram ,Sub Judge-cum-C.J.M., Munger
09.	Sri Chandra Mani Kumar ,Sub Judge-cum-C.J.M., Gopalganj

10.	Sri Sudhir Sinha ,Sub Judge -cum-C.J.M, Siwan
11.	Sri Md. Rustam , A.D.J., Patna
12.	Sri Sumit Ranjan ,Sub-Judge-cum-C.J.M., Bhabhua
13.	Sri Deshmukh ,Sub Judge -cum-C.J.M, Samastipur
14.	Sri Shailendra Kumar Sharma ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Ara
15.	Sri Gaurav Kamal, O.S.D. Computerization, Patna High Court, Patna
16.	Sri Uday Pratap Singh, A.D.J., Darbhanga
17.	Sri Amit Ranjan Upadhyaya ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Khagaria
18.	Ms Noor Sultana ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Chapra
19.	Sri Pranaw Shankar, Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna
20.	Sri Anand Kumar Singh I ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Bhagalpur
21.	Sri Javed Ahmad Khan ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Banka
22.	Sri Brijendra Kumar Rai, A.D.J., Sasaram
23.	Sri Vikash Singh ,Sub Judge-cum-C.J.M., Saharsa
24.	Sri Suryakant Tiwary ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Muzaffarpur
25.	Sri Rajeev Kumar III ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Sheikhpura
26.	Sri Satya Prakash ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Madhubani
27.	Sri Navin Kumar Thakur ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Supaul
28.	Sri Ravindra Kumar ,Sub Judge-cum-C.J.M., Sheohar
29.	Sri Ashutosh Kumar Upadhyay, A.D.J., Gaya
30.	Ms. Anju Singh ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Gaya
31.	Sri Umesh Kumar Sharma ,Sub Judge -cum-C.J.M., Jamui

32.	Sri Thakur Aman Kumar ,Sub Judge-cum-C.J.M.,Begusarai
33.	Sri Ajit Kumar Singh ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Kishanganj
34.	Ms Pratibha ,Sub Judge-Cum-C.J.M., Biharsharif
35.	Sri Vinay Shankar , Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Darbhanga
36.	Sri Sunil Kumar II , Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sasaram
37.	Sri Pushpam Kumar Jha ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M.,Saharsa
38.	Sri Kamlesh Chandra Mishra, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Supaul
39.	Sri Umesh Mani Tripathi ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Muzaffapur (W)
40.	Sri Rakesh Kumar Singh III ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Motihari
41.	Sri Balendra Shukla ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Gopalganj
42.	Ms. Richa Bhargava ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
43.	Sri Raja Ram Santosh Kumar, A.D.J., Patna
44.	Sri Neeraj Kumar I, A.D.J., Gaya
45.	Sri Yogesh Sharan Tripathi ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Bettiah
46.	Smt. Kheyati Singh, A.D.J., Nawadah
47.	Kumar Gunjan ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Patna
48.	Smt. Jyoti Kumari , Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sitamarhi
49.	Ms. Mausami Singh ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Sasaram
50.	Kumar Amit Manu, Presiding Officer, Labour Court, Purnea
51.	Sri Brajesh Kumar Pathak ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Danapur
52.	Ms Kalpana Srivastava ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Gaya

53.	Sri Suresh Kumar Srivastava ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Siwan
54.	Sri Ashutosh Kumar II ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M.,Munger
55.	Sri Bhupendra Singh, A.D.J., Sitamarhi
56.	Ms. Rachna Raj ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur
57.	Sri Rahul Kumar, Presiding Officer, Labour Court, Motihari
58.	Sri Kumar Rishikesh ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bakhri
59.	Sri Anurag Kumar Tripathi ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Chapra
60.	Sri Bipin Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Teghra
61.	Sri Suvash Chandra Sharma, Additional Registrar, Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna
62.	Sri Rajeev Nayan ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Patna
63.	Sri Ravindra Kumar Rai ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sitamarhi
64.	Ms. Anandita Singh, A.D.J., Aurangabad
65.	Sri Sanjeev Kumar Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga
66.	Sri Prabhat Krishna ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga
67.	Sri Rajesh Kumar Tripathi ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Buxar
68.	Sri Kailash Joshi ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Dumraon
69.	Sri Devanand Mishra,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Uda-Kishunganj
70.	Sri Ravi Ranjan ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
71.	Sri Puneet Malviya,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Sasaram
72.	Sri Aditya Suman ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Khagaria
73.	Sri Sunil Kumar Singh II, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Ara
74.	Sri Basant Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra

75.	Sri Sanjay Kumar Singh II, Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Gaya
76.	Sri Sanjay Kumar Mishra ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Hilsa
77.	Sri Ashutosh Pandey ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Kishanganj
78.	Sri Avinash Sharma, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Buxar
79.	Sri Abhay Srivastava, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Saharsa
80.	Sri Sandeep Kumar Mishra, Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Bhabhua
81.	Ms. Reshma Verma ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Danapur
82.	Sri Piyush Kumar Srivastava, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
83.	Sri Prabhat Kumar Srivastava, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bhabhua
84.	Sri Rakesh Kumar Tiwary ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Madhubani
85.	Ms. Rachna Srivastava ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
86.	Sri Sanjay Priya ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga
87.	Sri Neeraj Kumar II, A.D.J., Katihar
88.	Sri Ved Prakash Modi ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Sonapur
89.	Sri Awadhesh Kumar I, A.D.J, Danapur
90.	Sri Syed Qamrul Hassan Rizwi, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Madhubani
91.	Sri Neeraj Kishore ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Motihari
92.	Sri Sanjeev Kumar Pandey , A.D.J., Muzaffarpur
93.	Sri Rajendra Kumar Pandey, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gopalganj
94.	Sri Kumar Madhvendra, Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Barh
95.	Sri Akhauri Abhishek Sahay, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Naugachia

96.	Ms Namita Singh, A.D.J., Patna
97.	Sri Prashant Kumar Jha ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Dhamdaha
98.	Ms Sachi Mishra,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Motihari
99.	Sri Anand Kumar Srivastava ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Siwan
100.	Sri Subir Kumar ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Chapra
101.	Sri Atul Veer Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bhagalpur
102.	Sri Atul Kumar Singh ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Chapra
103.	Sri Afzal Alam ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Katihar
104.	Sri Ankur Gupta ,Deputy Director, Bihar Judicial Academy, Patna
105.	Sri Rajesh Kumar Verma ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bhabhua
106.	Ms. Divya Vasishtha ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Samastipur
107.	Sri Ashutosh Kumar Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Buxar
108.	Sri Prashant Kumar ,Presiding Officer, Labour Court, Munger
109.	Sri Sharad Chandra Srivastava,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Bhagalpur
110.	Sri Amit Kumar Singh ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Aurangabad
111.	Sri Dadhich Narayan Bhardwaj, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Sikrahana
112.	Sri Sankash Chandra,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
113.	Sri Sanjay Kumar IV,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Birpur
114.	Sri Sunil Kumar Singh III,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Patna
115.	Sri Lakshmi Kant Mishra,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Motihari
116.	Sri Ranvijay Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna
117.	Sri Ranjan Kumar Mishra ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Purnea

118.	Sri Sunil Kumar III, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna
119.	Sri Rajiv Ranjan Sahay , Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Samastipur
120.	Sri Bijay Kishor Singh, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna
121.	Sri Amit Raj , Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
122.	Ms. Rashmi, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Madhubani
123.	Sri Abhijit Kumar, A.D.J., Gaya
124.	Sri Brajesh Kumar , Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Madhepura
125.	Sri Om Prakash VI, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Shergati
126.	Sri Sudhir Kumar Sinha , Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra
127.	Sri Rajendra Kumar Sinha, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Katihar
128.	Sri Chandra Bir Singh, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan
129.	Sri Amit Kumar Pandey, Sub Judge-cum-A.C.J.M. Siwan
130.	Sri Sharad Chandra Kumar, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Khagaria
131.	Sri Manoj Kumar Srivastava, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Saharsa
132.	Sri Shree Ram Jha, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Lakhisarai
133.	Sri Vivek Rai, Sub Judge-cum-A.C.J.M. Bagaha
134.	Sri Surendra Kumar Mishra , Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bhabhua
135.	Sri Arvind , Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Aurangabad
136.	Sri Sanjeev Kumar I , Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gaya
137.	Sri Md. Salim , Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Banka
138.	Ms. Anupam Kumari , Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Darbhanga

139.	Sri Rajesh Pandey ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Gaya
140.	Sri Ajay Kumar I, Presiding Officer, Labour Court, Begusarai
141.	Sri Mukesh Kumar I ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
142.	Sri Rajnish Ranjan ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Hajipur
143.	Sri Jeetesh Kumar, Presiding Officer, Labour Court, Chapra
144.	Sri Anil Kumar Thakur ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Vaisi
145.	Ms. Akansha Kashyap,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Chapra
146.	Sri Anand Kumar Singh II,Sub Judge-cum-A.C.J.M.,Balia
147.	Sri Gaurav Anand ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Motihari
148.	Sri Divesh Kumar ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Rosera
149.	Sri Praveen Kumar Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Nawadah
150.	Sri Prabal Dutta,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bhagalpur
151.	Sri Sanjay Kumar Rai ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur
152.	Sri Pawan Kumar Shukla ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sheohar
153.	Sri Anwar Shamim, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Begusarai
154.	Sri Prabhakar Jha ,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Biharsharif
155.	Sri Deepanshu Srivastava, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Madhepura
156.	Sri Avinash Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bagaha
157.	Sri Subhash Chandra ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
158.	Sri Rajeev Ranjan Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
159.	Sri Rajeev Ranjan Raman ,Sub Judge-I-Cum-A.C.J.M., Lakhisarai
160.	Sri Dhiraj Kumar Bhaskar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Banmankhi

161.	Sri Nitin Kaushik, P.O. Labour Court at Dalmianagar
162.	Sri Santosh Kumar Jha , Sub Judge-cum-A.C.J.M., Katihar
163.	Sri Madhukar Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bhabhua
164.	Sri Sanjeev Kumar II,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Araria
165.	Sri Brij Kishore Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Dumraon
166.	Sri Anand Biswas Dhar Dubey, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
167.	Sri Vivek Bhardwaj ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Gaya
168.	Sri Vivekanand Prasad ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sheikhpura
169.	Ms. Rumpa Kumari ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bhagalpur
170.	Sri Jyoti Prakash ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sitamarhi
171.	Sri Atul Kumar Pathak ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Muzaffarpur (E)
172.	Sri Raghvendra Vikram Singh Parmar, Law Officer, Governor Secretariat, Patna
173.	Sri Uma Shankar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
174.	Sri Sandeep Agnihotri, Presiding Officer, Labour Court, Muzaffarpur
175.	Sri Ratneshwar Kumar Singh ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna
176.	Ms Rashmi Prasad ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna City
177.	Sri Javed Alam,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Darbhanga
178.	Sri Nishit Dayal, Registrar, Bihar Land Tribunal, Patna
179.	Sri Brijesh Mani Tripathi ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Danapur
180.	Sri Pankaj Chouhan ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Siwan
181.	Sri Abhishek Kunal ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Shahpur Patori

182.	Sri Amit Kumar Dixit ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Motihari
183.	Sri Shukun Kumar Manjhi ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Gopalganj
184.	Sri Ranjeet Kumar ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Samastipur
185.	Sri Dharendra Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Araria
186.	Sri Rajeev Kumar Bharti,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Begusarai
187.	Sri Nishant Kumar Priyadarshi,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan
188.	Sri Samarendra Gandhi,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gogari
189.	Ms Saroj Kirti ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Saharsa
190.	Sri Devesh Kumar ,Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Jamui
191.	Sri Randhir Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra
192.	Ms. Gayatri Kumari ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Gaya
193.	Sri Krishna Kumar Choudhary,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Arwal
194.	Ms. Ranjula Bharti ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Hajipur
195.	Sri Amit Kumar ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Danapur
196.	Sri Subash Kumar Roy,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Banka
197.	Ms. Niharika ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Patna City
198.	Sri Shaktidhar Bharti ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur
199.	Sri Sukul Ram ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna
200.	Sri Kumar Kaushal Kishore,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Biharshairf
201.	Sri Sushant Ranjan ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Motihari
202.	Sri Manoj Kumar V,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bikramganj
203.	Sri Mahavir Prasad ,Sub Judge-I-Cum-A.C.J.M., Jamui

204.	Sri Sadan Lal Priyadarshi ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sitamarhi
205.	Sri Dev Priya Kumar ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Belsand
206.	Sri Chhedi Ram ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sasaram
207.	Sri Ambika Prasad Choudhary ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gopalganj
208.	Sri Jeetendra Kumar II,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan
209.	Sri Rakesh Kumar Rajak,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Jehanabad
210.	Sri Shashi Bhushan Kumar,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Jamui
211.	Sri Pradeep Kumar Choudhary,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Supaul
212.	Sri Ravi Shankar ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Samastipur
213.	Sri Ashok Kumar Manjhi,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gopalganj
214.	Sri Krishna Gopal, Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna
215.	Sri Kumar Dharendra Rajaji,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bettiah
216.	Sri Anand Abhishek,Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Dalsingsarai
217.	Sri Ajay Kumar II,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Ara
218.	Ms. Indrani Kisku,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Barh
219.	Sri Mukesh Kumar II,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Ara
220.	Sri Rajesh Prasad Gupta ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Paliganj
221.	Sri Rajeev Kumar Mishra ,Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Bhagalpur
222.	Sri Sunil Datta ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bikramganj
223.	Sri Rameshwar Mishra ,Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur
224.	Sri Shyamal Kumar, Sub-cum-A.C.J.M., Bhagalpur

**By Order of the High Court,
Sd./Illigible, Registrar General I/c.**

17 अगस्त 2019

सं० 285 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उपधारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तम्भ-5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं	जिला का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री जय प्रकाश किस्कू, मुंसिफ, कहलगाँव (भागलपुर)	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) कटिहार स) कटिहार	कटिहार	कटिहार
2.	श्री विकास मिश्रा, मुंसिफ, औरंगाबाद	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) स) मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)
3.	श्री आदि देव, मुंसिफ, बक्सर	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मसौढ़ी स) पटना	पटना	मसौढ़ी
4.	श्री राकेश कुमार पाण्डेय, मुंसिफ, अररिया	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) आरा स) भोजपुर	भोजपुर	आरा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 17th August 2019

No. 285 A:--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships to be stations ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their names in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

Sl. No.	Name of the Officers, designation and place of present posting.	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District	Name of the Sub-Division
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sri Jai Prakash Kisku Munsif, Kahalgaon (Bhagalpur)	(a) Judicial Magistrate (b) Katihar (c) Katihar	Katihar	Katihar
2.	Sri Vikash Mishra Munsif, Aurangabad	(a) Judicial Magistrate (b) Muzaffarpur (West) (c) Muzaffarpur	Muzaffarpur	Muzaffarpur (West)
3.	Sri Aadi Dev Munsif, Buxar	(a) Judicial Magistrate (b) Masaurhi (c) Patna	Patna	Masaurhi
4.	Sri Rakesh Kumar Pandey, Munsif, Araria	(a) Judicial Magistrate (b) Ara (c) Bhojpur	Bhojpur	Ara

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

19 अगस्त 2019

सं० 286 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	रोजी परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 286 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the District noted against her name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officer with designation and present place of posting.	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Ms. Roji, Probationary Civil Judge (Junior Division), Patna.	Patna

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

19 अगस्त 2019

सं० 287 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	रितु कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बक्सर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 287 A:—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against her name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Ms. Ritu Kumari J.M. 1 st Class, Buxar.	(a) Judicial Magistrate (b) Patna (c) Patna	Patna

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

19 अगस्त 2019

सं० 288 नि :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिकवादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कॉजज कोर्ट्स ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री मनीष कुमार III न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, शिवहर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) शिवहर स) शिवहर	अ) शिवहर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) शिवहर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 288 A:---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Manish Kumar III J.M. 1 st Class-cum-A.M., Sheohar	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sheohar c) Sheohar	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sheohar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sheohar Munsifi.

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

19 अगस्त 2019

सं० 289 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री मनीष कुमार III, मुंसिफ, शिवहर।	शिवहर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 19th August 2019

No. 289 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Manish Kumar III, Munsif, Sheohar	Sheohar

**By Order of the High Court,
B.B. Pathak, Registrar General.**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

अधिसूचना

12 सितम्बर 2019

सं० म०/बंदो० - 18/2019-1240/मत्स्य—उच्च स्तर पर विभागीय जलकरों की बंदोबस्ती के समीक्षा के क्रम में यह बातें सामने आई कि अभी भी अनेक जिलों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(VII) में निर्धारित अवधि को विभागीय अधिसूचना सं० 1063 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा क्षांत की जा चुकी है, इसके बावजूद विस्तारित अवधि में भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बंदोबस्ती पूर्ण नहीं हो सका है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति से सम्बद्ध के सदस्यों की जिविकोपार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए जलकरों की बंदोबस्ती, सुरक्षित जमा पर की जाती है। चूँकि विस्तारित अवधि में भी कतिपय कारणों से बंदोबस्ती नहीं हो सकी है, इस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं० 1063 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा 30 अगस्त, 2019 जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को बंदोबस्ती हेतु आदेश 30 अगस्त, 2019 के पूर्व निर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया है। 30 अगस्त, 2019 के बाद बंदोबस्ती का ऐसा आदेश समाहर्ता के अनुमोदनोपरांत 20 सितम्बर के पूर्व ही निर्गत किया जा सकेगा। दोनों अंकित तिथि के बावजूद बंदोबस्ती की कार्रवाई में वैधानिक कठिनाई परिलक्षित हो रही है।

सरकार के संज्ञान में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा (19) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्ती आदेश निर्गत की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बंदोबस्ती हेतु **आदेश 30 सितम्बर, 2019 के पूर्व निर्गत किया जाएगा, किन्तु 30 सितम्बर, 2019 के बाद 15 अक्टूबर, 2019 तक** बंदोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्ता के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा सकेगा। इस हद तक वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित जलकरों की बंदोबस्ती हेतु आदेश निर्गमन की अवधि को क्षांत किया जाता है।
- ii. बंदोबस्ती की विहित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् जिन मामलों में विलम्बित शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाएगी, वैसे मामलों में परवाना निर्गत करने के पूर्व संबंधित समिति से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जाएगा, कि पहली जुलाई, 2019 के प्रभाव से समिति देय राजस्व देने को तैयार है।
- iii. यह सुविधा केवल निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को चालू वित्तीय वर्ष में ही अनुमान्य होगी।
- iv. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है।
- v. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

13 सितम्बर 2019

सं० ई2-02-41/2019-64—बिहार लोक सेवा आयोग के 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक—7ए/सं०प्र०प०-01-10/2017(10) लो०से०आ०/गो० दिनांक 26.04.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुशंसित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान लेवल-9 (₹53,100-₹1,67,800/-) में **औपबंधिक** रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-6 में अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से निम्नांकित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है—

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	स्थायी पता/वर्तमान पता	प्रस्तावित पदस्थापन कार्यालय	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राहुल सिंह कौशिक, 278	अनारक्षित	14.07.1990	स्थायी/वर्तमान पता-पिता-श्री शमशेर सिंह, पता-न्यू कॉलोनी हीरामानपुर, थाना-सारनाथ, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007	अनुमंडल कार्यालय, रोसड़ा, समस्तीपुर	
2	श्री प्रकाश रंजन सिंह, 300	अनारक्षित	30.11.1986	स्थायी पता-पिता-श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम+पो-भैसाखाल, जिला-सिवान, पिन-841245 2. वर्तमान पता-H.N-60J, शिवपुर सहवाजगंज मंदर टेरेसा होम रोड, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273014	अनुमंडल कार्यालय, बेगूसराय	
3	श्रीमती शिखा सिन्हा, 341	अनारक्षित	07.01.1984	स्थायी पता- C/o-मनोज कुमार सिन्हा, पता-शिवम् निवास, न्यू एरिया दक्षिण विसार तालाब, चोपड़ा एजेन्सी के नजदीक, गया, बिहार, पिन-823001 2. वर्तमान पता-पाम ग्रीन्स अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०-2F, वैशाली गैस एजेन्सी रोड, सगुना मोड़, दानापुर, पटना।	अनुमंडल कार्यालय, पटना सिटी, पटना	

- यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जायेगी तथा सरकार द्वारा वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी। साथ ही उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जायेगी तथा सरकार द्वारा वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी। साथ ही उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नहीं करने साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का शपथ-पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
- बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-30.09.2019 तक निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
- अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।
- अवर निर्वाचन पदाधिकारी परीक्ष्यमान अवधि में अपने दैनिक कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय कार्यों का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत ही करेंगे।
- इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

13. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दिनांक 30.09.2019 तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच० आर० श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव।

13 सितम्बर 2019

सं० ई२-2-013/2008-65—श्री अविनाश चन्द्र, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, नवादा संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया का उक्त पदस्थापन अवधि में संबंधित कार्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर क्रमशः पत्नी की चिकित्सा हेतु दिनांक 03.11.2011 से 17.11.2011 तक कुल 15 दिनों का एवं स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 19.06.2017 से 25.07.2019 तक कुल 37 दिनों का बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत कुल (15+37=52) (बावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार, उप सचिव।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

17 सितम्बर 2019

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गृ०आ०/7745—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-4805, दिनांक 19.06.2019 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.10.2019 से 31.12.2019 तक (एक अक्टूबर दो हजार उन्नीस से एकत्तीस दिसम्बर दो हजार उन्नीस तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर 2019

सं० 6/वि०पत्रा० 24-07/2019 बि० वि० से०-2737—बिहार वित्त सेवा (56वीं से 59वीं बैच) के श्री अविनाश त्रिपाठी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य विशेष चयन) परीक्षा, 2016 के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप (उनके अनुरोध पर) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।

2. विरमन के पश्चात बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 203/ 2018-2860—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड- 3 ग्रेड वेतन 7600/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड-3 ग्रेड वेतन 7600/-)
1	2	3	4
1	डा० ज्ञानेन्द्र शर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसौनी, सीतामढ़ी 2379	25.03.1968 20.05.1995	20.05.2015
2	डा० धर्मेन्द्र कुमार प्रभाकर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संग्रामपुर 2105	01.06.1963 03.04.1991	03.04.2011
3	डा० सुनील कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, छौड़ादानो, मोतिहारी 2101	05.01.1964 08.04.1991	24.11.2013
4	डा० अरविन्द कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सिंधियाघाट, समस्तीपुर 2164	15.10.1961 22.05.1992	22.05.2012
5	डा० अनिल कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनपुर, समस्तीपुर 2159	10.07.1961 25.05.1992	25.05.2012
6	डा० प्रदीप कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रानीपट्टी, मधेपुरा बैच-95	31.12.1967 18.05.1995	18.05.2015
7	डा० राजीव रंजन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नगरनौसा, नालंदा 2236	02.10.1966 23.02.1994	26.06.2017
8	डा० प्रभावती कुमारी, पशुपालन पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक (प०वि०) लघु पशु विकास परियोजना (मु०स्तर) वैशाली, हाजीपुर 2247	05.07.1969 26.05.1995	26.05.2015
9	डा० सुभाष कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, बेगुसराय 1955	28.06.1962 26.10.1989	26.10.2009

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 205/ 2015-2862—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 के संदर्भ में दिनांक-30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 10000-15200/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतनमान 10000-15200/-)
1	2	3	4
1	डा० सुभाष कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, बेगुसराय, 1955	28.06.1962 26.10.1989	26.10.2001

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 203/ 2018-2865—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 तथा अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 12000-16500/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतनमान 12000-16500/-)
1	2	3	4
1	डा० प्रमोद चन्द्र तिवारी, पशु शल्य चिकित्सक, पटना सिटी, 2621	01.07.1961 18.03.1986	18.03.2010

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 207/ 2018-2867—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्कीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार गव्य सेवा के पदाधिकारी को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड- 2 ग्रेड वेतन 5400/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन 5400/-)
1	2	3	4
1	श्री नौशाद अहमद हैदरी, प्रभारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर 18	27.11.1962 01.09.1984	01.09.2014

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 208/ 2017-2869—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्कीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार मत्स्य सेवा के पदाधिकारी को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड- 3 ग्रेड वेतन 6600/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड-3 ग्रेड वेतन 6600/-)
1	2	3	4
1	श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त उप मत्स्य निदेशक (सांख्यिकी एवं विपणन) मत्स्य निदेशालय, पटना 02	05.01.1957 24.03.1986	24.03.2016

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

16 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (14) 01/ 2019-2880—वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-10770 दिनांक 31.12.1981 के संदर्भ में दिनांक-30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नवत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनके प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ वेतनमान रु० 1000-1820/- (अपुनरीक्षित रु० 3000-4500/-) में निम्नवत सूची के क्रमांक-4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देय तिथि (वेतनमान रु० 1000-1820/-अपुनरीक्षित रु० 3000-4500/-)
1	2	3	4
1	डा० विजय कुमार, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर 1719	05.01.1958 14.04.1983	14.04.1993

2. उपर्युक्त पदाधिकारी के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त पदाधिकारियों को वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

4. वित्त विभाग की अधिसूचना सं०-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारी/कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली 22 (i) ए (i) के अनुसार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

23 सितम्बर 2019

सं० 1/स्था० (2) 206/ 2018-2956—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक 30.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैंड- 4 ग्रेड वेतन 8700/- रुपये में निम्नवत सूची के क्रमांक- 4 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/नियुक्ति की तिथि	तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि (वेतन बैंड-4 ग्रेड वेतन 8700/-)
1	2	3	4
1	डा० सुबेलाल प्रसाद, सेवानिवृत्त पशु शल्य चिकित्सक, बिहार शरीफ, नालंदा 1870	15.01.1959 29.03.1986	29.03.2016
2	डा० अंगद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अमारुत, गया 1701	02.01.1954 06.04.1983	06.04.2013
3	डा० मनोज कुमार, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी 1715	19.05.1958 14.04.1983	14.04.2013
4	डा० श्याम बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पटना सदर 1747	26.01.1958 01.11.1983	01.11.2013
5	डा० योगेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पशु शल्य चिकित्सक, मधेपुरा 1748	02.01.1957 12.10.1983	12.10.2013

6	डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर, सेवानिवृत्त विशेष उप निदेशक (प०वि०) वृहत पशु विकास परियोजना (मु० स्तर) पटना 1787	01.11.1956 04.10.1983	04.10.2013
7	डा० अब्दुल मल्लिक, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण 1625	31.03.1956 06.02.1982	06.02.2012
8	डा० मदन मोहन, सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) जिला पशुपालन कार्यालय, सिवान 1609	05.11.1954 18.01.1982	18.01.2012
9	डा० देवकीनंदन प्रसाद, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी 1642	08.09.1955 02.03.1982	02.03.2012
10	डा० उमेश प्रसाद, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर 1670	31.03.1958 12.04.1982	12.04.2012
11	डा० चन्द्रशेखर, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मगध क्षेत्र, गया 1726	01.11.1959 20.05.1983	20.05.2013
12	डा० अरुण कुमार, सहायक निदेशक (पशु विकास) वृहत पशु विकास परियोजना (क्षेत्रीय स्तर) बेगुसराय 1890	12.03.1961 07.05.1986	07.05.2016
13	डा० विशेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अतरी, गया 1864	13.01.1957 22.03.1986	22.03.2016
14	डा० नागेन्द्र कुमार चौबे, सेवानिवृत्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खुसरूपुर, पटना 1893	14.02.1959 12.05.1986	12.05.2016
15	डा० प्रमोद चन्द्र तिवारी, पशु शल्य चिकित्सक, पटना सिटी 1846	01.07.1961 18.03.1986	18.03.2016

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैंड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृत्ति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम, अवर सचिव।

सैनिक कल्याण निदेशालय
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

अधिसूचनाएं
5 मार्च 2019

सं० सै०क०नि०/०१/०१/२०१५/४३६—श्री एस० एम० परवेज आलम, बि० प्र० से०, (कोटि कमांक ९५४/२०११), विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का आँख के ईलाज कराने हेतु दिनांक, २७.१२.२०१८ से दिनांक, ०७.०२.२०१९ तक कुल ४३ दिनों की उपभोग की गई छुट्टी में से दिनांक, २७.१२.२०१८ से दिनांक, २५.०१.२०१९ तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम २३२, २३४ के तहत (६० दिनों) की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के रूप में स्वीकृत करते हुए कुल ३० दिनों की (पूर्ण वेतन पर) रूपान्तरित छुट्टी एवं बिहार सेवा संहिता के नियम २२७, २३० एवं २४८ के तहत दिनांक २६.०१.२०१९ से दिनांक ०७.०२.२०१९ तक कुल १३ दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कर्नल दिलीप प्रसाद, निदेशक।

४ सितम्बर 2019

सं० सै०क०नि०/०१/०१/२०१५/का० आ०-१०—श्री एस० एम० परवेज आलम, बि० प्र० से०, (कोटि कमांक ९५४/२०११), विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का आँख की कराये गये चिकित्सीय समीक्षा एवं ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम २२७, २३० एवं २४८ के तहत दिनांक ०१.७.२०१९ से दिनांक २०.८.२०१९ तक कुल ५१ दिनों का पूर्ण वेतन सहित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कर्नल दिलीप प्रसाद, निदेशक।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
२० अगस्त 2019

सं० निग/सारा-४ (पथ)-(नि०था०का०)-१२/१४-७५५९(स)—श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध सारण पथ अंचल, हाजीपुर के पदस्थापन काल में भ्रष्ट क्रियाकलापों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से ₹३२४२८१३६ (तीन करोड़, चौबीस लाख, अठाईस हजार, एक सौ छत्तीस रुपये) की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोप के लिए विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा विशेष निगरानी थाना कांड संख्या-५०/२०१४ दिनांक-१४.०८.१४ धारा-१३(२)—सहपठित धारा-१३(१)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ के अन्तर्गत दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को उपलब्ध कराये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-८५३९ (एस)—सहपठित ज्ञापांक-८५४० (एस) दिनांक ०४.०९.१४ द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ के तहत आरोप गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-१०००६ (एस) अनु० दिनांक-१७.१०.१४ द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

२. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञापांक-६२६ सी०डी०ई०, दिनांक-१०.१२.२०१४ द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को श्री दीपक कुमार सिंह, सचिव—सह—अपर विभागीय जाँच आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को हस्तान्तरित कर दिया गया।

३. सचिव—सह—अपर विभागीय जाँच आयुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-६५१ दिनांक-२०.०१.१६ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित एक मात्र आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

४. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उत्पन्न असहमति के कुल १२ (बारह) रेखांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-८५५४ (एस) अनु० दिनांक-०४.१०.१७ द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

५. विभागीय पत्रांक-८५५४ (एस) अनु० दिनांक-०४.१०.१७ के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-१८.१२.१७ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में निम्नवत् तथ्यों को अंकित किया गया :-

(क) असहमति के बिन्दु (i) एवं (ii) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के विश्लेषण की कंडिका-७.१ में अंकित तथ्यों का संदर्भ दिया गया।

(ख) असहमति के बिन्दु (iii) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा यह अंकित किया गया है कि पवन मिलर्स प्राईवेट लिमिटेड क्रेता है न कि विक्रेता।

(ग) असहमति के बिन्दु (iv) के संबंध में श्री सिंह द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनके बैंक खाते में जमा राशि के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने विश्लेषण की कंडिका-7.1 में उनके आय को प्रमाणित माना है। जिससे स्पष्ट है कि उनपर लगाया गया आरोप उचित नहीं है।

(घ) असहमति के बिन्दु (v) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा यह अंकित किया गया है कि SIP के रूप में मात्र ₹1500/- (पन्द्रह सौ) रुपये चौदह माह में जमा किया गया था न कि ₹22,500/- (बाईस हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह अपने वेतन से जमा करने का था।

(च) असहमति के बिन्दु (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) एवं (xii) के संबंध में श्री सिंह के द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की कंडिका-7 के तहत किये गये विश्लेषण में अंकित तथ्यों के आलोक में यह कहा गया है कि उनके ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

6. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा ऐसा कोई ठोस अथवा अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसपर युक्ति संगत विचार किया जा सके। इसके विपरीत श्री सिंह के द्वारा समर्पित सम्पत्ति विवरणी संबंधी तथ्यों में छेड़छाड़ किये जाने की पुष्टि होती है, साथ-ही श्री सिंह के द्वारा आरोप के बिन्दुओं पर सीधे तौर पर कोई खंडन करने का भी प्रयास नहीं किया गया है और संचालन पदाधिकारी के द्वारा किये गये विश्लेषण की कंडिका-7 मात्र को ही अपने द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर का मुख्य आधार बनाया गया है, जबकि उक्त विश्लेषण से उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के संदर्भ में श्री सिंह द्वारा रखे गये तर्क एवं साक्ष्य भी परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।

फलतः इनके विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री सिंह के द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर को विचारणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया एवं गंभीर कदाचार का दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी के दंड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. सरकार का उक्त निर्णय बृहद दंड की श्रेणी में होने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (7) के आलोक में एतदसंबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-7480 (एस) दिनांक-27.09.18, द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-548 दिनांक-07.06.19 द्वारा श्री सिंह को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

8. तदालोक में श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रत्यानुपाति धनार्जन संबंधी आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार इन्हें सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी।

उक्त स्वीकृति के आलोक में श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति : निलंबित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

जल संसाधन विभाग

आदेश

18 सितम्बर 2019

सं0 बा०प्र०सु०संके०-50/2016-715--विभागीय आदेश संख्या बा०प्र०सु०संके०-50/2016-63 दिनांक 16.01.2019 के क्रम संख्या 3 पर श्री पीयूष कुमार के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित मासिक पारिश्रमिक "रुपये 35,000/- (रु० पैंतीस हजार मात्र)" को बढ़ाकर "रुपये 45,000/- (रु० पैतालीस हजार मात्र)" किया जाता है।

2. यह वर्धित मासिक पारिश्रमिक इस पत्र की निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

3. उक्त विभागीय आदेश की शेष सभी प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी।

4. इस पर सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
राकेश कुमार, संयुक्त सचिव (प्र०)।

Department of Environment, Forest & Climate Change

NOTIFICATION

The 19th September 2019

No. Parya/Van-53/2018/1319(E)/EF&CC---In compliance with the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India D.O. letter (no. Q-16017/12/2019-CPA, dated-24.04.2019) addressed to the Chief Secretary, Bihar, the State Government hereby constitutes Steering Committee, Monitoring Committee & Implementation Committee for guidance, monitoring, coordinating and implementing the City Specific Action Plans formulated under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution in Non-attainment and other cities in Bihar.

1. **Steering Committee headed by Chief Secretary of the State:** State Level Advisory Committee constituted vide Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide notification no. 689 (E), dated-12.06.2019 under the chairmanship of the Chief Secretary, Bihar for implementation of environmental laws and monitoring of the program related with pollution control and environmental conservation shall act as Steering Committee for overall guidance and monitoring of the implementation of action plan under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution.

The committee shall review the implementation on quarterly basis.

2. **Monitoring Committee:** In compliance with the order of the Hon'ble NGT in O.A. No. 681 of 2018 in the matter of News Item Published in 'The Times of India' Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple Timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August, 2015" action plan has to be prepared by Air Quality Monitoring Committee (AQMC) under overall supervision and co-ordination of the Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar. Accordingly, Air Quality Monitoring Committee (AQMC) is constituted as hereunder:-

1.	Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar	Chairman
2.	Principal Secretary, Transport Department, Govt. of Bihar or nominated officer not below the rank of Director	Member
3.	Principal Secretary, Industry Department, Govt. of Bihar or nominated officer not below the rank of Director	Member
4.	Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt. of Bihar or nominated officer not below the rank of Director	Member
5.	Principal Secretary, Agriculture Department, Govt. of Bihar or nominated officer not below the rank of Director	Member
6.	Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna	Convener

Air Quality Monitoring Committee (AQMC) shall prepare City Specific Action Plan for prevention & control of air pollution & monitor the program closely and meet on a monthly basis.

3. **Implementation Committee:** District Level Committee/Control Room constituted vide Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar vide notification no. 684 (E), dated-12.06.2019 for solid waste management and enforcement & monitoring of implementation of environmental laws at the district level under chairmanship of District Magistrate shall act as implementation committee for day-to-day monitoring and implementation of action plan under National Clean Air Program (NCAP) for prevention & control of air pollution.

By order of Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh, Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 988---I, K. S. KRISHNAN residing at Bari Durga Sthan Road. PO+DIST.-Saharsa, BIHAR declare that K S KRISHNAN and KUMAR SHRAWAN KRISHNAN are one and only the same person vide affidavit No. 6411 dated 24.12.2016 sworn before the court of Ex. Magistrate Saharsa.

K. S. KRISHNAN.

No. 1011---I, Sukanya D/o Ashok Bhaskar Pandey, R/O Bankipur Harisabha, Sabjibagh, Patna 800004, Declare vide affidavit no. 3263 dated 28.08-2019 that now onwards, shall be known as Sukanya Pandey.

SUKANYA PANDEY.

No. 1015---I, Matraiya Singh, S/O-Vishnu Kumar, R/O-House No.-16, IAS Colony, Bailey Road, Ishan International School, Danapur, Patna, declare that earlier I was known as Matraiya, but from today onwards I will be known as Matraiya Singh for all future purposes, Affidavit No. 194/Dated 20.10.2017

Matraiya Singh.

No. 1016---I, Apala Singh, S/O-Vishnu Kumar, R/O-House No.-16, IAS Colony, Bailey Road, Ishan International School, Danapur, Patna, declare that earlier I was known as Apala, but from today onwards I will be known as Apala Singh for all future purposes, Affidavit No. 193/Dated 20.10.2017

Apala Singh.

No. 1017---I, LEENA KUMARI, (D/o H. P. Choudhury), born on (04.08.78), R/o Vill-Semaria-Brahmsthan, PO-Revelganj, Distt-Chapra (Saran) Bihar 841305, have changed my name to Leena Choudhury after my marriage to Budhdeo Choudhury (DoB-01.01.74) vide affidavit 22116 dated 15.11.18 at Chapra, in the Court of first class Judicial Magistrate.

LEENA KUMARI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 1/एम०2-60-09/2016 गृ०आ०-7645

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

13 सितम्बर 2019

श्री सुनील कुमार, भा०पु०से० (2005) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना के विरुद्ध अनियमित तरीके से थानाध्यक्षों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन करने, पुलिस सभा का आयोजन छः माह के अंतराल में मात्र एक बार करने, सामूहिक कल्याण हेतु पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने से इंकार करने, जाति विशेष के पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष बनाने तथा पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिस अवर निरीक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी की सुविधा नहीं देने आदि के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं० 7080, दिनांक 05.09.2016 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए बचाव-बयान समर्पित करने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

2. और चूँकि श्री कुमार द्वारा पत्रांक 195/गो०, दिनांक 12.12.2016 द्वारा बचाव-बयान समर्पित किय गया, जो पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 9294/एक्स०पी०, दिनांक 28.12.2016 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान असंतोषप्रद होने के कारण इसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(2) के तहत विभागीय संकल्प सं० 2288, दिनांक 17.03.2017 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. और चूँकि विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा मामले में पत्रांक 149, दिनांक 07.02.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध आरोपों में आरोप सं० (i) को प्रमाणित, आरोप सं० (ii) को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप सं० (iii) एवं (iv) अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। मुख्य जांच आयुक्त द्वारा संचालित कार्यवाही में प्रक्रियात्मक कमी होने के कारण इसे दूर करने हेतु विभागीय पत्रांक 1967, दिनांक 08.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय जांच आयुक्त द्वारा प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर पत्रांक 265, दिनांक 12.03.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विभागीय जांच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत उनके मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(2) के तहत जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 3515, दिनांक 25.04.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अंदर लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4. और चूँकि श्री कुमार का लिखित अभिकथन ज्ञापक 97/गो०, दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोपों, जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं इसपर आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया तथा इसपर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक 5683, दिनांक 02.07.2018 के माध्यम से आयोग से अपेक्षा की गयी।

5. और चूँकि उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्रांक 3/180/2018.सेवा-1, दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से मामले में प्रेक्षण एवं निष्कर्ष संसूचित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें “गैर संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोकें जाने की शास्ति” अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा और तदनुसार यही आयोग का परामर्श है।

6. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(5)(b) के तहत विभागीय पत्रांक-6200, दिनांक 01.08.2019 द्वारा आयोग के परामर्श की प्रति, आरोपित पदाधिकारी को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

7. और चूँकि उक्त पत्र के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक 54/गो0, दिनांक 16.08.2019 के माध्यम से समर्पित किया गया।

8. आयोग द्वारा संसूचित परामर्श पर आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इसे अस्वीकार करने एवं उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दंड अधिरोपण के बिन्दु पर आयोग द्वारा संसूचित परामर्श के आलोक में दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अतः सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन पत्रांक 54/गो0, दिनांक 16.08.2019 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय ज्ञापन सं0 7080, दिनांक 05.09.2016 एवं तदसंबंधी विभागीय संकल्प 2288, दिनांक 17.03.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सं0 05/17 में आयोग द्वारा संसूचित परामर्श के आलोक में "गैर संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोकें जाने की शास्ति" अधिरोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

सं0 1/एम02-60-04/2016 गू0आ0-7646

संकल्प

13 सितम्बर 2019

श्री विवेकानंद, भा0पु0से0 (2008) जब पुलिस अधीक्षक, नालंदा के पद पर कार्यरत थे, तब दिनांक 21.02.2016 को "दी टेलीग्राफ" अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा दिनांक 24.02.2016 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में महिला थाना, नालंदा कांड सं0 15/2016, दिनांक 09.02.2016, जो एक नाबालिग लड़की के साथ राजबल्लभ यादव, सं0वि0सं0 द्वारा बलात्कार किये जाने से संबंधित है, के संबंध में छपे समाचार की जांच पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि श्री विवेकानंद द्वारा प्रेस में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। साथ ही, नाबालिग लड़की का बलात्कार जैसी जघन्य घटना को रूटीन तरीके से लिया गया। जिला पुलिस द्वारा प्रारंभ में मामले में कार्रवाई में शिथिलता बरती गयी एवं इस लापरवाही के कारण ही प्राथमिकी के नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों को फरार होने का मौका मिल गया। श्री विवेकानंद के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं0 5182, दिनांक 04.07.2016 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव-बयान समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. और चूँकि श्री विवेकानंद द्वारा पत्रांक 71/गो0, दिनांक 24.08.2016 द्वारा बचाव-बयान समर्पित किये गए। श्री विवेकानंद द्वारा समर्पित बचाव बयान की समीक्षोपरांत उनका बचाव-बयान असंतोषप्रद होने के कारण इसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8(2) के तहत विभागीय संकल्प सं0 9601, दिनांक 07.12.2016 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. और चूँकि विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा मामले में पत्रांक 312, दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री विवेकानंद के विरुद्ध आरोपों में आरोप सं0 (1) को अंशतः प्रमाणित, आरोप सं0 (2) व (3) को प्रमाणित तथा आरोप (4) को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। मुख्य जांच आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत उनके मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(2) के तहत जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 4409, दिनांक 22.05.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अंदर लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4. और चूँकि श्री विवेकानंद का लिखित अभिकथन ज्ञापक 43/गो0, दिनांक 06.06.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोपों, जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं इसपर आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया तथा इसपर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक 8136, दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से आयोग से अपेक्षा की गयी।

5. और चूँकि उक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पत्रांक 3/339/2018.सेवा1, दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से मामले में प्रेक्षण एवं निष्कर्ष संसूचित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें "वेतन के समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्तर की कटौती किये जाने की शास्ति इस निदेश के साथ कि सेवा के सदस्य कटौती की इस अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती

उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित नहीं करेगी” अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा और तदनुसार यही आयोग का परामर्श है।

6. और चूँकि अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 9(5)(b) के तहत विभागीय पत्रांक-6199, दिनांक 01.08.2019 द्वारा आयोग के परामर्श की प्रति, आरोपित पदाधिकारी को लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

7. और चूँकि उक्त पत्र के आलोक में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक 49/गो0, दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से समर्पित किया गया।

8. आयोग द्वारा संसूचित परामर्श पर आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार करने एवं उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दंड के बिन्दु पर आयोग द्वारा संसूचित परामर्श के आलोक में दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अतः विवेकानंद, भा0पु0से0 (2008), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बिहारशरीफ, नालंदा सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन पत्रांक 49/गो0, दिनांक 14.08.2019 को अस्वीकृत किया जाता है एवं उनके विरुद्ध विभागीय ज्ञापन सं0 5182, दिनांक 04.07.2016 एवं तदसंबंधी विभागीय संकल्प 9601, दिनांक 07.12.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सं0 67/16 में आयोग के परामर्श के आलोक में “वेतन के समयमान में एक वर्ष के लिए एक स्तर की कटौती किये जाने की शास्ति इस निदेश के साथ अधिरोपित की जाती है कि सेवा के सदस्य कटौती की इस अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित नहीं करेगी”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>